न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 125/2023 निर्णय दिनांक 01.05.2024
ऑनलाईन नम्बर 2023/255
रामीदेवी पत्नी हरिराम जाति ब्राह्मण निवासी कालूबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादिनी—

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. बबीतादेवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति स्वामी निवासी आडसर बास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. बृजलाल बारोठिया प्रतिवादी सं. 2 की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 88,188, आरटीए व 136 भू—राजस्व अधिनियम।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा नम्बर 706 तादादी 0.66 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ में वादिनी के हिस्सा की खातेदारी 383/3300 हिस्सा थी। वादिनी ने अपने संयुक्त हिस्सादारी में इस खेत में स्थित अपने हिस्सा में से आधे हिस्से यानि 383/6600 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 2 को दिनांक 22.12.2021 को विक्रय कर दिया और बिक्रित हिस्से के तमाम अधिकार प्रतिवादी संख्या 2 को सौप दिये, इस खेत में वादिनी द्वारा 383/6600 हिस्सा जमीन प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय करने के बाद वादिनी के पास 383/6600 हिस्सा जमीन शेष रही, जिस पर वादिनी का कब्जा, काश्त व उपयोग—उपभोग चला आ रहा है। वादिनी ने प्रतिवादी संख्या 2 को खसरा नम्बर 706 में स्थित अपने 383/3600 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा यानि 383/6600 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय किया था, जिसका स्पष्ट उल्लेख विक्रय पत्र में है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 के मातहत कर्मचारियो ने वादिनी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को बिक्रित 383/3300 हिस्सा के 1/2 हिस्सा यानि 383/6600 हिस्सा भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज करने के बजाय खसरा नम्बर 706 में स्थित वादिनी के सम्पूर्ण हिस्सा याानि 383/3300 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी गई, जो पूर्णतया गलत है तथा विक्रय पत्र के विपरित है। प्रतिवादी संख्या 2 का मौके पर 383/6600 हिस्सा पर ही कब्जा काश्त है। 383/6600 हिस्सा पर वादिनी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 के मातहत कर्मचारियों ने खसरा नम्बर 706 में स्थित वादिनी के सम्पूर्ण हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज कर दिये जाने से इस खसरा भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादिनी के नाम शून्य जमीन हो गई और खातेदारी से वादिनी का नाम हटा दिया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के मातहत कर्मचारियो द्वारा खसरा नम्बर 706 में स्थित वादिनी के सम्पूर्ण हिस्सा की खातेदारी वादिनी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में सम्पादित विक्रय पत्र के विपरित दर्ज कर दिये जाने से वादिनी के नाम कुछ भी जमीन नहीं रही, इसलिये वादिनी के पास खसरा नम्बर 706 में 383/6600 हिस्सा की खातेदारी उसके नाम दर्ज करवाने के लिये न्यायालय से घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अलावा अन्य विकल्प नहीं रहा है। खसरा नम्बर 706 को बाद में इन्तकार संख्या 578 के द्वारा खसरा नम्बर 707 में सम्पादित कर दिया गया है। अब खसरा नम्बर 706 रेकार्ड में नहीं है, बल्कि खसरा नम्बर 706 को 707 में समाहित कर देने से खसरा नम्बर 706 के खसरा नम्बर 707 हो गये है और प्रतिवादी खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.15 13:30:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

नम्बर 2 के नाम विक्रय पत्र के आधार पर खसरा नम्बर 706 की खातेदारी में दर्ज नाम अब खसरा नम्बर 707 के खातेदार के रूप में हो गया है। खसरा नम्बर 706 वर्तमान खसरा नम्बर 707 के 383/6600 हिस्सा पर आज भी वादिनी का कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग चला आ रहा है, परन्तु अब प्रतिवादी संख्या 2 राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का दुरूपयोग कर खसरा नम्बर 707 के 383/3300 हिस्सा को रहन, बैय या दिगर तरीके से मुन्तकिल करने पर आमदा है, जबकि प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 383/6600 हिस्सा ही होता है। वादिनी के पास अपने अधिकारो की रक्षार्थ प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध न्यायालय से चिरनिषेधाज्ञा प्राप्त करने के अलावा विकल्प नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा गलती से खसरा नम्बर 706 के 383/6600 हिस्सा की जगह 383/3300 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी गई है, जिसको दुरूस्त करने व 383/6600 हिस्सा की खातेदारी वादिनी के नाम दर्ज करने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण दिनांक 31.03.2023 को ऐसा करने से इन्कार हो गये, इसी दिनांक को वादिनी को वादहेतु प्राप्त है। वादगत खेत में वादिनी का 383/6600 हिस्सा जायज होने से वादाधार हासिल है। वादिनी का दावा अर्चेन्ट नेचर का है, क्योंकि अगर वादिनी द्वारा स्टेट के विरूद्ध दावा पेश करने हेतु दो माह का नोटिस देकर दावा पेश किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 2 वागदत खेत के राजस्व रेकार्ड में दर्ज अपने गलत हिस्सा का बैजा फायदा उठाकर वादिनी के हिस्से को रहन, बैय या दिगर तरीके से मुन्तकिल किया जा सकता है, इसलिये स्टेट के विरूद्ध दावा पेश करने हेतु धारा 80(2) सी. पी.सी. के तहत अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर छूट प्राप्त कर दावा पेश किया गया है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा बहक वादिनी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से सादर डिक्री फरमाया जावेः–

(क) कि खसरा नम्बर 706 वर्तमान खसरा नम्बर 707 रोही श्रीडूंगरगढ़ में 383/6600 हिस्सा की खातेदारी वादिनी के नाम दर्ज की जावे तथा राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 383/3300 हिस्सा की खातेदारी की जगह 383/6600 हिस्सा दर्ज किया जावे।

(ख) कि प्रतिवादीगण को चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे कि वोह वादिनी को खसरा नम्बर 707 वर्तमान खसरा नम्बर 707 रोही श्रीडूंगरगढ़ में 383/6600 हिस्सा से बेदखन ना करे, ना ही ऐसा कोई कार्य करे, जिससे वादिनी के हितो पर विपरित प्रभाव पड़ता हो।

(ग) कि खसरा नम्बर 706 वर्तमान खसरा नम्बर 707 रोही श्रीडूंगरगढ़ का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 383/3300 के बजाय 383/6600 हिस्सा दर्ज किया जावे।

(घ) कि दावा का सम्पूर्ण हर्जा–खर्चा वादिनी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(ड़) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादिनी हो या दौराने दावा हितकर वादिनी हो जावे, आज्ञाप्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.15 13:50:41 IST
Reason: SelfAttested

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर दावा/इकबाल दावा पेश किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकार राजी उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। वाद में विवादबिन्दु नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। साक्ष्यवादी (PW-1) में रामीदेवी द्वारा शपथ पत्र साक्ष्यवादी में पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से साक्ष्य

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

पेश नहीं किये जाने का कथन किया गया। बहस उभयपक्षकरान सुनी गई। संक्षेप में प्रतिवादीगण को वादिनी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादिनी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नंबर 706 वर्तमान खसरा नंबर 707 रोही श्रीडूंगरगढ में 383/6600 हिस्सा की खातेदारी वादिनी के नाम दर्ज करनें एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 383/300 हिस्सा की खातेदारी की जगह 383/6600 हिस्सा दर्ज की खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। न्यायालय के द्वार पूर्व में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 21.12.2022 अनुसार प्रभावी रहेगी। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। हर्जा–खर्चा वादिनी एवं प्रतिवादीगण अपना अपना वहन करें। अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.15 13:30:41 IST
Reason: SelfAttested